

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 59]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 15 फरवरी 2011—माघ 26, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 2011

फा. क्र. 09-1-83-इक्कीस-ब-(दो).—न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 (1870 का 7) की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 9-1-83-ब-इक्कीस, दिनांक 1 अप्रैल, 1983 में, जो “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)” में उसी दिनांक को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, शब्द “छः हजार रुपये” के स्थान पर, शब्द “पच्चीस हजार रुपये” स्थापित किए जाएं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, सचिव.

भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 2011

फा. क्र. 09-1-83-इक्कीस-ब-(दो).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना प्रा. क्रमांक 09-1-83-ब-इक्कीस, दिनांक 14 फरवरी, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, सचिव.

Bhopal, the 14th February 2011

F. No. 9-1-83-B-XXI.—In Exercise of the powers conferred by Section 35 of the Court-fees Act, 1870 (No. 7 of 1870), the State Government, hereby Makes the following amendment in this department's notification F. No. 9-1-83-B-XXI, dated 1st April, 1983 which was published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary) on the same date, namely :—

AMENDMENT

In the said notification, for the words “rupees six thousand”, the words “rupees twenty five thousand” shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
A. J. KHAN, Secy.